झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण विधेयक–2015
[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारण।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग कार्य विस्तारण विधेयक–2015

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावना

चूंकि राज्य सेवा/कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामले में ही झारखण्ड लोक सेवा आयोग की भूमिका है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले अन्य प्रकार के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति का कार्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं की जा रही है जबकि इन पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाने का प्रावधान सम्बन्धित विभाग की नियमावली में किया गया है।

इस कठिनाई को देखते हुए यह आवश्यकता महसूस की गयी है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग को राज्य सेवा/कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों के अतिरिक्त वैसे अन्य पदों की नियुक्ति/प्रोन्नति का दायित्व भी दिया जाना आवश्यक हो गया है जिसका प्रावधान सम्बन्धित विभाग की नियमावली में है। ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 321 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तारण आवश्यक है।

अतः भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

1. (क) संक्षिप्त नाम एवं विस्तार और प्रारम्भ:–

   (i) यह अधिनियम, "झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण अधिनियम–2015 कहलाएगा।"

   (ii) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण अधिनियम–2015 निम्नवत पठित होगा:–

   "राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक संवर्ग/नगर विकास विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड नगरपालिका सेवा के सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सहायक अभियंता (सिविल), सहायक अभियंता (यांत्रिक), नगर निवेशन सेवा के सहायक नगर निवेशक एवं राज्य सरकार के अन्य निगम/निकायों के पद जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा का दायित्व उस विभाग की नियमावली द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दिया गया है, वैसे सभी पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति की अनुशंसा का कार्य झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा।"

यह विधेयक झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण विधेयक, 2015 दिनांक 27 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 34--50--7-9-2015 ।